

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ****दांडिक प्रकी. जमानत आवेदन सं. - 4472 वर्ष 2026**

अताउल्लाह शाह

.... आवेदक (गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ

..... विरोधी पक्षकार (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : फ़िरोज़ अहमद खान

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता : शा.अधि.

न्यायालय सं. - 11**माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह**

1. आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दाखिल अतिरिक्त शपथपत्र अभिलेख पर लिया गया।

2. आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता और उ. प्र. राज्य के विद्वान् अ.शा.अधि. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

3. वर्तमान जमानत आवेदन, आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध सं. 256 वर्ष 2026 में, अंतर्गत धारा 3(1), उ.प्र. गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, पुलिस थाना - कोतवाली अयोध्या, जिला अयोध्या, उसे जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

4. आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदक निर्दोष व्यक्ति है और उसे

इस मामले में झूठा फंसाया गया है, और वह 16.4.2026 से जेल में है। अग्रेतर निवेदित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

किया गया है कि गैंग चार्ट में आवेदक के विरुद्ध एक मामले का विवरण दर्शित किया गया है और उक्त मामले में आवेदक जमानत पर है (जमानत आदेश आवेदन के साथ संलग्नक सं. 2 के रूप में संलग्न है)। वह यह भी निवेदन करते हैं कि आवेदक को दो अन्य मामलों में भी फंसाया गया था, जिनमें से एक मामले में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और एक मामले में आवेदक को दोषमुक्त किया गया है। वह अग्रेतर निवेदन करते हैं कि वह भविष्य में किसी भी अवैध गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होगा। इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत के लिए अधिकृत है। यदि जमानत दी जाती है, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. विद्वान् अ.शा.अधि.ने जमानत प्रदान करने की प्रार्थना का विरोध किया है, किन्तु निष्पक्ष रूप से स्वीकृत किया कि गैंग चार्ट में उल्लिखित मामले में आवेदक जमानत पर है।

6. पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ताओं के विरोधी निवेदनों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्र.सू.रि. की अंतर्वस्तुओं, अन्य सुसंगत दस्तावेजों, अपराध की प्रकृति, गैंग चार्ट और गैंग चार्ट में उल्लिखित मामले में आवेदक के जमानत आदेशों पर विचार करने के बाद, यह न्यायालय पाता है कि गैंगस्टर अधिनियम की धारा 19(4) की शर्तों का उचित रीति से पालन किया गया है, आवेदक ऐसे अपराध का दोषी नहीं है, इसलिए, वह जमानत पर छोड़े जा के लिए अधिकृत है।

7. आवेदक - अताउल्लाह शाह - को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत किए जाने पर, उपर्युक्त

आपराधिक मामले में, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन जमानत पर छोड़ा जाए:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (i) आवेदक, ऐसे अपराध, जिसका वह अभियुक्त है, या संदिग्ध है, जिसे कारित किए जाने के लिए वह संदिग्ध है, जैसा कोई अपराध कारित या उसमें सम्मिलित नहीं होगा।
- (ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से रोका जाए, या साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक इस प्रभाव का वचनबंध दाखिल करेगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य के लिए नियत दिनांक पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त की चूक की स्थिति में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने, और विधि के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (iv) आवेदक नियत की गई प्रत्येक दिनांक पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। किसी पर्याप्त कारण के बिना, उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध, धारा 229-क, भा.दं.सं. / धारा 269, भा.न्या.सं. के अधीन की कार्रवाई कर सकता है।
- (v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82, दं.प्र.सं. / धारा 84, भा.न्या.सं. के अधीन उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत दिनांक पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार धारा 174-क, भा.दं.सं. / धारा 209, भा.न्या.सं. के अधीन कार्रवाई आरंभ करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(vi) आवेदक को (1) वाद के आरंभ में, (2) आरोप विरचित करने और (3) धारा 313, दं.प्र.सं./ धारा 351, भा.न्या.सं. के अधीन कथन अभिलिखित करने के लिए नियत दिनांकों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थित जानबूझकर है या बिना किसी पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने, और उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

8. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त करने का एक आधार होगी।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

जून 12, 2026
गौरव/-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।